अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 598(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए) समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय) पद भर्ती नियम, 1995 को जहां तक उनका संबंध लेखाकार, आशुलिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के महिला एकक में लेखाकार, आशुलिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), समूह 'ग' भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके,इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. लेखाकार	18* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	**स्तर – 5**	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं.	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियोंकी दशा में लागू होंगी?	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः (i) यूनिट सचिवालय में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उसी श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। या (ii) यूनिट सचिवालय से ऐसा आशुलिपिक या छात्रावास वार्डन या आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उसी श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पणः** आशुलिपिक या छात्रावास वार्डन या आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक को सचिवालीय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान द्वारा दिया जाने वाला रोकड़ एवं लेखा संबंधी अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होगा। **प्रतिनियुक्ति-** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या कानूनान्त या स्वायत् संगठन के अधीन अधिकारीः (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य, सदृश पद धारण करते हो; या	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर होगीः-** 1. प्रशिक्षण महानिदेशालय की संबंधित यूनिट सचिवालय के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. समूह 'क' अधिकारी, संबंधित यूनिट सचिवालय/ महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय –सदस्य 3. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से इत्तर कोई समूह 'क' अधिकारी जो उसी शहर में तैनात हो – सदस्य 4. प्रधानाचार्य अथवा सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य	लागू नहीं होता

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 या समतुल्य पद पर नियमित पांच वर्ष सेवा की हो; और (iii) रोकड़ और लेखा संबंधी तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पणः** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नत की सीधी पंक्ति में हों प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. आशुलिपिक	11* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	**स्तर – 4**	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच की आयु तथा (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश तथा आदेशों के अनुसार शिथिलनीय

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य। 2. कौशल परीक्षा मानदंडः श्रुतलेखः 10 मिनट 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से लिप्यंतरणः 50 मिनट (अंग्रेजी) या 65 मिनट (हिंदी) (कम्प्यूटर पर)।	आयुः नहीं अर्हताः हां	दो वर्ष	प्रोन्नति, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति (यूनिट आधारित): अवर श्रेणी लिपिक ने पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और स्तंभ (7) विहित आशुलिपि और टंकण गति रखते हों।	**समूह 'ग'** विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर होगीः- **1.** प्रशिक्षण महानिदेशालय की संबंधित यूनिट सचिवालय के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. समूह 'क' अधिकारी, संबंधित यूनिट सचिवालय/महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय –सदस्य 3. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से इत्तर कोई समूह 'क' अधिकारी जो उसी शहर में तैनात हो – सदस्य 4. प्रधानाचार्य अथवा सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय	लागू नहीं होता

	कौशल प्रशिक्षण संस्थान, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उच्च श्रेणी लिपिक	22* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	**स्तर – 4**	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः यूनिट सचिवालय से नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के व्यक्ति समतुल्य पदों पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा वेतन स्तर-2 में ऐसे पदों पर कार्यरत व्यक्ति जिन्होंने नियुक्ति के उपरान्त उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। **टिप्पणः** पोषक प्रवर्ग कोटि के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में आते हों, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति वाले प्रोन्नति से नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर होगीः-** **1.** प्रशिक्षण महानिदेशालय की संबंधित यूनिट सचिवालय के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. समूह 'क' अधिकारी, संबंधित यूनिट सचिवालय/ महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय –सदस्य 3. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से इत्तर कोई समूह 'क' अधिकारी जो उसी शहर में तैनात हो – सदस्य 4. प्रधानाचार्य अथवा सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय **- सदस्य**	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4. अवर श्रेणी लिपिक	15* (2019) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित,	**स्तर – 2**	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी

	परिवर्तन किया जा सकता है	अनुसचिवीय)			नियमों के अनुसार शिथिलनीय

(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य; **कौशल परीक्षा मानदंडः** कम्प्यूटर पर टंकण की गति 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में तथा 30 श.प्र.मि, हिंदी में (प्रति शब्द) के लिए औसतन 5 कुंजी दाब पर 35 श.प्र.मि. तथा 30 श.प्र.मि. के लिए तदनुरूप 10500 के डीपीएच/9000 केडीपीएच।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	80 प्रतिशत, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधे भर्ती; और 20 प्रतिशत, पात्र बहु कार्य कर्मचारीवृंद (एमटीएस) में से प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः प्रादेशिक यूनिटों में से पात्र बहु कार्य कर्मचारिवृंद में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं रखते हों।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित से मिलकर होगीः-** 1. प्रशिक्षण महानिदेशालय की संबंधित यूनिट सचिवालय के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. समूह 'क' अधिकारी, संबंधित यूनिट सचिवालय/ महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय –सदस्य 3. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से इत्तर कोई समूह 'क' अधिकारी जो उसी शहर में तैनात हो – सदस्य 4. प्रधानाचार्य अथवा सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. डीजीटी-ए-12017/01/2017 डब्ल्यूटी पार्ट-(1)]

राजेश अग्रवाल, महानिदेशक/अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2019

G.S.R. 598(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women), Group 'C' Non-Gazetted, (Ministerial) Recruitment Rules 1995, in so far as they relate to the posts of Accountant, Stenographer, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Accountant, Stenographer, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the workmen's unit, in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, in the office of Directorate General of Training, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Directorate General of Training (Women Training), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix**.—The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualification etc**.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.—**No person –**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruit
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. ACCOUNTANT	18* (2019) *Subject to variation depending on work load	General Central Service Group 'C' (non-Gazetted, Ministerial)	Level 5	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Not applicable	Two Years	Promotion, failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Upper Division Clerk with five years regular services in the grade after appointment thereto on regular basis in the unit secretariat; **or** (ii) Stenographer or Hostel Warden or Data Entry Operator having five years regular services in the grade after appointment thereto from unit secretariat. **Note:** Stenographer or Hostel Warden or Data Entry Operator shall complete the essential training provided by Institute of Secretarial Training and Management on cash and accounts. **Deputation :** Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or PSUs or Recognised research institution or University or statutory or autonomous organisation: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the post in Level-4 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (iii) three years experience relating to cash and accounts. **Note:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line on the promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	**Group 'C', Departmental Promotion Committee, consisting of:-** 1. Joint Director of Training or Head of Department of the concerned Unit Secretariat, Directorate General of Training – Chairperson 2. Group 'A' Officer, concern unit secretariat/ Women Training, Directorate General of Training – Member 3. A Group 'A' officer stationed in the same city, other than Ministry of Skill Development and Entrepreneurship –Member 4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute, Women Training, Directorate General of Training – Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. STENOGRAPHER	11* (2019) Subject to variation depending on	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted,	Level - 4	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to

	workload	Ministerial)			time)

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:- 12th class pass or equivalent from a recognized Board or University. **Skill Test Norms:** Dictation: 10 mts @ 80 w.p.m. Transcription: 50 mts. (English) or 65 mts. (Hindi) (On computer)	Age: No Qualification: Yes	Two years	Promotion, failing which by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Promotion (Unit Basis): Lower Division Clerk with five years regular service in the grade and possessing the stenography and typing speed as prescribed in column (7)	**Group 'C', Departmental Promotion Committee, consisting of:-** 1. Joint Director of Training or Head of Department of the concerned Unit Secretariat, Directorate General of Training – Chairperson 2. Group 'A' Officer, concern unit secretariat/ Women Training, Directorate General of Training – Member 3. A Group 'A' officer stationed in the same city, other than Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – Member 4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute, Women Training, Directorate General of Training – Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. UPPER DIVISION CLERK	22* (2019) *Subject to variation depending on work load	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Level - 4	Non-Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion, failing which on deputation

(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerk with five years regular service in the grade after appointment thereto from unit secretariat. **Deputation:** (i) Persons from the Central Government or the State Government holding analogous posts; or (ii) holding posts in the pay level-2 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Note:** The departmental officers in	**Group 'C', Departmental Promotion Committee, consisting of:-** 1. Joint Director of Training or Head of Department of the concerned Unit Secretariat, Directorate General of Training – Chairperson 2. Group 'A' Officer, concern unit secretariat/ Women Training, Directorate General of Training - Member 3. A Group 'A' officer stationed in the same city, other than Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – Member 4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute, Women Training, Directorate General of Training - Member	Not applicable

the feeder category who are in the direct line on the promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. LOWER DIVISION CLERK	15* (2019) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Level - 2	Not applicable	Between 18 and 25 years of age and (Relaxation as per Government of India rules issued time to time)

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th Pass from recognised Board or its equivalent; (ii) **Skill Test Norms:** Typing speed on computer @ 35 words per minutes in English or 30 words per minutes in Hindi on computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depression for each word).	Not applicable	Two years	(i) Eighty per cent. direct recruitment through Staff Selection Commission; and (ii) Twenty per cent. by promotion amongst the eligible Multi Tasking Staff

(11)	(12)	(13)
Promotion: Amongst the eligible Multi Tasking staff having eight years regular service in the regional units and possess essential qualifications mentioned in column (7)	**Group 'C', Departmental Promotion Committee, consisting of:-** 1. Joint Director of Training or Head of Department of the concerned Unit Secretariat, Directorate General of Training – Chairperson 2. Group 'A' Officer, concern unit secretariat/ Women Training Directorate General of Training. – Member 3. A Group 'A' officer stationed in the same city, other than Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – Member 4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute, Women Training, Directorate General of Training. – Member	Not applicable

[F. No. DGT-A-12017/01/2017-WT-Pt(I)]

RAJESH AGGARWAL, Director General/Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.